न्यायालय,समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,खगड़िया।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139) [illegible] 130/2017

आदेश पत्रक–ता0.................................से...

जिला–खगड़िया...........................,सा0...,सन्..............................

केस का प्रकारः–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्याः– 130/2017 [illegible]

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
22.12.2017 Proceed 27/12/17	बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 30(ए) के तहत खगड़िया थाना में दर्ज कांड संख्या–501/2017 दिनांक 22.07.2017 में जप्त किये गए विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु अनुशंसा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 4283/हि0श0 दिनांक 12.12.2017 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, खगड़िया का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त की गई कुल–750 एम0एल0 का 57 (सनतावन) बोतल विदेशी शराब की कुल मात्रा में से 750 एम0एल0 का 02 (दो) बोतल विदेशी शराब माननीय विशेष न्यायालय के आदेशानुसार जॉच हेतु उत्पाद रसायन निरीक्षक, कुम्हरार बिहार, पटना को भेज दिया गया है, जबकि शेष–750 एम0एल0 का 55(पचपन) बोतल विदेशी शराब खगड़िया थाने के मालखाना में रखा गया है। पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है। अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए खगड़िया थाने के मालखाना में रखी गई कुल–750 एम0एल0 का 55 (पचपन) बोतल विदेशी शराब कुल–41.250 लीटर विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख–रेख में निर्धारित प्रकियों का पालन करते हुए खगड़िया थाना कांड संख्या–501/2017 के आधार पर जप्त की गई कुल–750 एम0एल0 का 55 (पचपन) बोतल कुल–41.250 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए ततसंबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, खगड़िया। समाहर्त्ता, खगड़िया।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 नं0 492 / विधि, दिनांक 22/12/2017 प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, खगड़िया / अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया / थानाध्यक्ष, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 22/12/17 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया। 22/12/17	